




अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0-05/2024

1. आवेदक-अविनाश आनंद, पता-अमजोरा, पिरोजपुर, मेरहमा जिला- गोड्डा।

बनाम्

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा।

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
10.12.2024	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>आयोग के Website https://jharkhandsfc.in/admin/ के Complain No. 23208244800003 के माध्यम से अविनाश आनंद, पता- अमजोरा, पिरोजपुर, मेरहमा जिला- गोड्डा का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, उक्त मामला राशन कार्ड रद्द करते हुए कार्रवाई करने से संबंधित है।</p> <p>अतः उपरोक्त संदर्भ में अपना पक्ष रखने हेतु सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 16.12.2024 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा। </div> <div style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा। </div> </div>	
16/12/24	<p>अभिलेख उपस्थापित / उक्त पक्ष उपस्थापित।</p> <p>अभि जाँच प्रतिवेदन की माँग करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 23.12.24 को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right;">  16.12.24 </div>	<p>अनुराग लाल शर्मा मुखिया अमजोरा पिरोजपुर</p>
23/12/24 प्रश्न	<p>अभिलेख उपस्थापित / उक्त पक्ष उपस्थापित। अभिलेख दिनांक को रखें।</p> <p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी के फ़ोन नं-858/निकास</p> <p>अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण</p>	



अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0-05/2024

1. आवेदक-अविनाश आनंद, पता-अमजोरा, पिरोजपुर, मेरहमा जिला- गोड्डा।

बनाम्

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा।

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	<p>दिनांक - 23.12.24 को सूचित किया गया है कि राशन कार्ड सं - 20200971573 को जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा दिनांक - 20.04.2024 को रिलिट कर दिया गया है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।</p> <p> 23.12.24 अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी गोड्डा</p> <p> 23.12.24 अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी गोड्डा</p>	



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गोड्डा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

ई-मेल:-dsogodda@gmail.com

पत्रांक:- 858 / जि0आ0,

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गोड्डा।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता-सह-जिला जन शिकयत पदाधिकारी,
गोड्डा।

विषय:-

गोड्डा, दिनांक-23/12/2024
प्राप्त शिकायत के अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिकायत संख्या-303034, शिकायत दर्ज होने की तिथि-26.03.2024 के द्वारा कार्ड रद्द करने हेतु शिकायत दाखिल किया है।

उक्त के आलोक में कहना है कि राशन कार्ड संख्या-20200971573 को जिला आपूर्ति कार्यालय गोड्डा के द्वारा दिनांक-20.04.2024 को डिलिट कर दिया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]
23/12/24

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गोड्डा।

23/12/24

[Handwritten Signature]
23/12/24